UPRN010059522022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि0),
कोर्ट सं०-4 कानपुर देहात।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-2852/2022

शिवकुमार त्रिपाठी पुत्र परसन्नेलाल, निवासी-नहरीबरी, थाना-शिवली, जिला-कानपुर देहात।

------अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **--- अभियोजन।**

मु०अ०सं०-646/2017
धारा-138- B विद्युत अधिनियम
थाना-शिवली, जिला-कानपुर देहात।

दिनांक 10.10.2022

उपरोक्त आदेश पारित किये जाने के पश्चात उपरोक्त मामले में उपरोक्त अभियुक्त की तरफ से उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र समर्थित शपथपत्र प्रस्तुत कर, उसके सम्बन्धित विद्वान अधिवक्ता की तरफ से इस आशय का कथन किया गया है कि उपरोक्त मामले में उपरोक्त अभियुक्त को गलत एवं झूठा फंसाया गया है तथा अभियुक्त निर्दोष है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अपराध से सम्बन्धित शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण सम्बन्धित विभाग में जमा किया जा चुका है, जिससे सम्बन्धित रसीद की छायाप्रति व सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी धारा-152 भा०विद्युत अधिनियम के पत्र की छायाप्रति, उसके द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल किया गया है। उपरोक्त अभियुक्त की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की मांग की गयी है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से सम्बन्धित विभागीय विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों का कोई खण्डन नहीं किया गया है।

अतः समस्त चर्चित तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एवं अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न रसीद की छायाप्रति व सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी पत्र के परिप्रेक्ष्य में, उपरोक्त अभियुक्त को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित एवं समीचीन पाया जाता है।

आदेश

उपरोक्त मामले में उपरोक्त अभियुक्त को मु० -20,000/- रूपये की दो जमानतें एवं इसी धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर, उसे उपरोक्त मामले में, जमानत पर रिहा किया जाता है तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांकः 10.10.2022

प्रभारी अधिकारी,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)
कोर्ट सं०-4, कानपुर देहात।